न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 36 / 2020
सुमेर खान उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सैंमलाकलां तहसील नगर जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.10.2020 प्रकरण संख्या 29 / 2020 सरकार बनाम सुमेर खान अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 28.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.10.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट पर लगाये गए आरोप निराधार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर के कारण बताओ नोटिस का जबाव अपीलान्ट द्वारा सभी सम्बन्धित उपभोक्ताओं को व्यक्तिशः मय उनके शपथपत्रों के उन्हें तहत न्यायालय में पेश किया था । यदि तहत न्यायालय को कोई सन्देह था तो शपथ पत्र प्रस्तुत कर्त्ताओं का परीक्षण स्वयं अपने समक्ष किया जाना चाहिए था, किन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा न कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने या बाहर चले जाने पर राशन कार्ड में से अपने नाम को नहीं कटवाता है तो उसके लिए कार्डधारी को दण्डित किया जाना चाहिए। अपीलान्ट को दण्डित कर उसके लाईसेंस को निरस्त करना उचित नहीं कहा जा सकता। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह नहीं बताया गया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध [illegible] व आधार पर प्रमाणित माना गया है । अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

........2

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई जांच तथ्यात्मक जांच नहीं है। शिकायत की जांच में शिकायत कर्त्ताओं से पूछताछ नहीं की गई है और न ही उनके राशनकाडों का निरीक्षण कर वितरण की पुष्टि की गई है। मात्र शिकायत के आधार पर डीलर को आरोपित किया गया है। शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के साक्ष्य पत्रावली में नहीं हैं। इस कारण अपीलान्ट को आरोपित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी जाहिर किया है कि कोरौना काल में जो उपभोक्ता रोजगार हेतु बाहर चले गए थे वे वापस अपने गांव आए एवं उनके द्वारा राशन लिया गया। इन उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर तहत न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया। वस्तुतः शिकायत राजनैतिक द्वेष के कारण की गई है एवं अपीलान्ट के विरूद्ध अनियमितताऐं किये जाने का कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। शिकायत की जांच एक ही स्थान पर शिकायतकर्ता के घर पर बैठकर की गई है। अपीलाधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि डीलर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच की गई। शिकायत तथ्यात्मक है एवं ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट से शिकायत के तथ्यों की पुष्टि हुई है। कोरौना महामारी के दौरान मार्च,2020 से जून,2020 में विभाग द्वारा बिना बॉयोमैट्रिक सत्यापन के गेंहूँ का वितरण करने की व्यवस्था की गई थी, जिसका अपीलान्ट द्वारा अनुचित रूप से फायदा उठाकर गांव से बाहर रहने वाले व मृत उपभोक्ताओं के राशनकाडों पर गेंहूँ का ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। शिकायत में दर्ज तथ्यों की पुष्टि ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट से होती है, जिसमें विगत कई महीनों से राशन नहीं लेने वाले राशनकाडों में माह मार्च, 2020 के अन्त में ट्रांन्जेक्शन प्रारम्भ किये गए हैं क्योंकि ये ट्रान्जेक्शन बिना बॉयोमैट्रिक सत्यापन के हो रहे थे। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव व शपथ पत्र पश्चातवर्ती सोच के तहत प्रस्तुत किये गए हैं। अपीलाधीन आदेश डीलर द्वारा वितरण में अनियमितताऐं किये जाने पर ही पारित किया गया है,जो सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट के विरूद्ध की गई शिकायत में अंकित तथ्यों की पुष्टि हेतु [illegible] उपभोक्ताओं से पूछताछ एवं राशनकार्डों का निरीक्षण करा[illegible] अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गए आरोप ठोस रूप से प्रमाणित नहीं हो[illegible]। केवल ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन

......3

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर अपीलान्ट को आरोपित करना स्वीकार योग्य नहीं है। तहत पत्रावली के अवलोकन पर सम्बन्धित उपभोक्ताओं के राशन प्राप्त करने बावत शपथ पत्र भी जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत किये गए हैं। तहत न्यायालय द्वारा इन शपथ पत्रों की सत्यता की भी कोई जांच नहीं कराई गई है। तहत पत्रावली में संलग्न फर्द मौका के अवलोकन से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह एक ही स्थान पर बैठ कर तैयार की गई है। निरीक्षणकर्ता द्वारा उपभोक्तओं के बयान आदि भी नहीं लिए गए हैं। शिकायत में अंकित तथ्यों एवं ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन में दर्ज वितरण की पुष्टि हेतु सम्बन्धित उपभोक्ताओं से न तो पूछताछ की गई और न उनके राशनकार्डों का निरीक्षण किया गया। इसके अभाव में अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गए आरोप स्थापित नहीं रहते हैं। अपीलाधीन आदेश त्रृटि पूर्ण होने से समर्थन योग्य नहीं रहता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2020 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 28.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested